न्यायालय ए0 सी0 जे0 एम0 द्वितीय बिजनौर

प्रार्थना पत्र सं0 510 /2017

जबरूददीन पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम निजामतपुरा थाना नहटौर जिला बिजनौर।

बनाम

1:— बैंक मैनेजर औरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा नहटौर

2:— शेखर बाबू कैशियर औरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा नहटौर जिला बिजनौर :

धारा—409,420.323.504.506. आई0पी0सी0

थाना— नहटौर

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156(3) सी0 आर0 पी0 सी0

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी ने मुल्जिमान के बैंक, औरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा नहटौर में दिनाक 29.03.2017 को खाता सं0 7751131000355 का एक 28,000/—रू0 का चैक सं0 034731 अपने खाता सं0 7752011016800 में जमा किया था। (दोनो खाते आपकी बैंक शाखा नहटौर के है) चैक जमा करने के कुछ देर बाद भी प्रार्थी के खाते में चैक की कोई धनराशि नहीं पहुँची प्रार्थी ने बैंक से सम्पर्क किया तो मुल्ज़िमान ने यह कहते हुए टाल दिया कि 24 घन्टे में चैक के 28,000/—रू0 प्रार्थी के खाते में आ जायेंगे। किन्तु प्रार्थी के खाते में कोई रकम् नहीं आयी। प्रार्थी ने 2 दिन बाद भी मुल्जिमान से कहा कि प्रार्थी के चैक की धनराशि अभी तक भी प्रार्थी के खाते में नही आयी तो मुल्जिमान ने और इन्तजार करने को कहा किन्तु प्रार्थी के खाते में उक्त चैक की धनराशि आज तक नहीं आयी है।

दिनांक—09.08.2017 को प्रार्थी मुल्जिमान की शाखा उपरोक्त में समय लगभग 11:00 बजे दिन पहुँचा और मुल्जिमान से अपने उपरोक्त चैक से सम्बन्धित धनराशि अंकन 28,000/—रू0 अपने खाते

Scanned with CamScanner

में जांच कर भिजवाने का निवेदन किया लेकिन उपरोक्त मुल्जिमान ने प्रार्थी के साथ धक्का मुक्की करते हुए कहा कि अब तेरे उक्त चैक में वर्णित धनराशि तेरे खाते में नहीं आयेगी और यदि ज्यादा बोलेगा तो एक सरकारी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में मुकदमा लिखाकर जेल भिजवा दूँगा और गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए बैंक से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। प्रार्थी रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो थाने वालों ने प्रार्थी की कोई बात नहीं सुनी। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक बिजनौर को दिया जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रभारी निरीक्षक थाना नहटौर को आदेशित करें कि प्रार्थी का मुकदमा उपरोक्त मुल्जिमान के विरूद्ध पंजीकृत करके विवेचना करें।

श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनांक–10.8.2017

प्रार्थी

जबरूददीन पुत्र रहमत अली

निवासी ग्राम निज़ामतपुरा

थाना नहटौर जिला बिजनौर।

Scanned with CamScanner